

सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता

Chapter-VII

State Aid to Co-operative Societies

44. सरकार की वित्तीय भागीदारी या सहायता— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार,—

- (क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में प्रत्यक्षतः अभिदाय कर सकेगी;
- (ख) समुचित उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए, शीर्ष सोसाइटी को अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए धन इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध करा सकेगी कि किसी भी सहकारी सोसाइटी के ऐसे शेयर, प्रत्येक मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं खरीदे जायेंगे;
- (ग) सहकारी सोसाइटियों को उधार या अग्रिम दे सकेगी;
- (घ) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उस पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;
- (ङ) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी और उस पर लाभांश का ऐसी दरों पर प्रतिसंदाय करने की, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्याभूति दे सकेगी;
- (च) किसी सहकारी सोसाइटी को दिये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन का प्रतिसंदाय करने और उन पर ब्याज का संदाय करने की प्रत्याभूति दे सकेगी;
- (छ) किसी सहकारी सोसाइटी को साहायिकियों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अन्य रूप में, वित्तीय सहायता दे सकेगी :-

परन्तु सरकारी धन से या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या किसी भी अन्य सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खरीदे गये किन्हीं भी शेयरों के संबंध में दायित्व, उसका परिसमापन होने की दशा में, ऐसे शेयरों के संबंध में संदत्त रकम तक सीमित होगा।

(2) किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, सरकार ऐसी किसी भी सहकारी सोसाइटी के शेयरों पर ऐसी दर से उच्चतर दर पर लाभांश या ब्याज की हकदार नहीं होगी जिस पर ऐसा लाभांश या ब्याज सोसाइटी के किसी भी अन्य शेयर धारक को संदेय है।

44. Financial partnership or aid of the Government.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Government may —

- (a) subscribe directly to the share capital of a co-operative society;
- (b) subject to the appropriate bye-laws, provide moneys to an apex society for purchase of shares in other co-operative societies, subject to the condition that no such shares in any co-operative society shall be purchased except with the previous approval of the Government in each case;
- (c) give loan or make advances to co-operative societies;
- (d) guarantee the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society;
- (e) guarantee the repayment of share capital of a co-operative society and dividends thereon, at such rates as may be specified by the Government;
- (f) guarantee the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society;
- (g) give financial assistance in any other form, including subsidies, to any co-operative society :

Provided that liability in respect of any shares purchased with Government money either directly by the Government or through any other co-operative society shall, in the event of its being wound up, be limited to the amount paid in respect of such shares.

(2) Notwithstanding any agreement to the contrary, the Government shall not be

entitled to a dividend or interest on shares of any such co-operative society at a rate higher than that at which such dividend or interest is payable to any other shareholder of the society.

45. मुख्य और समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि— (1) कोई शीर्ष सोसाइटी, जिसे धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है, ऐसे धन से एक निधि स्थापित करेगी, जिसका नाम 'मुख्य राज्य भागीदारी निधि' होगा और उसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं -

- (क) अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर सीधे ही खरीदने;
- (ख) केन्द्रीय सहकारी सोसाइटी को प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए उस सोसाइटी को समर्थ बनाने हेतु धन उपलब्ध कराने;
- (ग) सरकार को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय करने।

(2) कोई केन्द्रीय सोसाइटी, जिसे किसी शीर्ष सोसाइटी द्वारा मुख्य राज्य भागीदारी निधि से उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन धन उपलब्ध कराया जाये, ऐसे धन से एक निधि स्थापित करेगी, जिसका नाम 'समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि' होगा और उसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं-

- (क) प्राथमिक सोसाइटियों में शेयर खरीदने;
- (ख) शीर्ष सोसाइटी को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय करने :

परन्तु या तो मुख्य या समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में जमा कोई रकम क्रमशः किसी शीर्ष या किसी केन्द्रीय सोसाइटी की आस्तियों का भाग नहीं होगी और ऐसी सोसाइटियों के परिसमापन की दशा में, मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा या उसमें संदेय समस्त धन सरकार के खाते में जमा किया जायेगा, जबकि समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में जमा या उसमें संदेय धन मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा किया जायेगा।

45. Principal and Subsidiary State Partnership Funds.— (1) An apex society, which is provided with moneys by the Government under clause (b) of subsection (1) of section 44 shall, with such moneys, establish a fund to be called the 'Principal State Partnership Fund' and shall utilise it for the purpose of —

- (a) directly purchasing shares in other co-operative societies;

- (b) providing moneys to a central co-operative society to enable that society to purchase shares in primary co-operative societies;
- (c) making payment to the Government in accordance with the provisions of this chapter; and for no other purpose.

(2) A central society, which is provided with moneys by an apex society from the Principal State Partnership Fund under clause (b) of sub-section (1) shall with such moneys, establish a fund to be called the 'Subsidiary State Partnership Fund' and utilise it for the purpose of —

- (a) purchasing shares in primary societies;
- (b) making payments to the apex society in accordance with the provisions of this chapter; and for no other purpose :

Provided that any amount to the credit of either principal or Subsidiary State Partnership Funds shall not form part of the assets of an apex or a central society respectively and in the event of such societies being wound up, all moneys to the credit of or payable to the Principal State Partnership Fund shall be credited to the Government, whereas moneys to the credit of or payable to the Subsidiary State Partnership Fund shall be credited to the Principal State Partnership Fund.

46. शीर्ष और केन्द्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति— (1) यदि किसी सहकारी सोसाइटी, जिसमें शेयर मुख्य राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गये हैं, का परिसमापन या विघटन हो जाता है तो सरकार का ऐसी शीर्ष सोसाइटी के विरुद्ध, जिसने शेयर खरीदे थे, ऐसी खरीद से हुई किसी हानि के संबंध में कोई दावा नहीं होगा किन्तु सरकार समापन की कार्यवाहियों में या, यथास्थिति, विघटन पर, शीर्ष सोसाइटी द्वारा प्राप्त किसी धन की हकदार होगी।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी, जिसमें शेयर समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गये हैं, का परिसमापन या विघटन हो जाता है तो न तो सरकार का और न शीर्ष सोसाइटी का ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी के विरुद्ध, जिसने शेयर खरीदे थे, ऐसी खरीद से हुई किसी हानि के संबंध में कोई दावा होगा किन्तु शीर्ष सोसाइटी समापन की कार्यवाहियों में या, यथास्थिति, विघटन पर, केन्द्रीय सोसाइटी द्वारा प्राप्त किसी धन की हकदार होगी और ऐसा धन मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा कराया जायेगा।

46. Indemnity of apex and central societies.— (1) If a co-operative society in which shares are purchased from the Principal State Partnership Fund is wound up or is dissolved, the Government shall not have any claim against the apex society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the Government shall be entitled to any moneys received by the apex society in liquidation proceedings or on dissolution, as the case may be.

(2) If a co-operative society in which shares are purchased from the Subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, neither the Government nor the apex society shall have any claim against the central society which purchased such shares in respect of any loss arising from such purchases but the apex society shall be entitled to any moneys received by the central society in liquidation proceedings or on dissolution, as the case may be, and such moneys shall be credited to the Principal State Partnership Fund.

